आबकारी नीति में फल उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने की पहल

फलों से बनने वाली वाइन के लिए हर जिले में होगी एक दुकान

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ : नई आबकारी नीति में सरकार ने फल उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने की पहल की है। इसके लिए वाइन निर्माता कंपनियां जिले में एक अलग दुकान खोलेंगी, जहां फलों से बनी वाइन की बिक्री होगी। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में अंग्रेजी-देशी शराब व बीयर के साथ-साथ वाइन की बिक्री में भी बढ़ोतरी हो। आबकारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल का कहना है कि वाइन का उत्पादन बढ़ने से प्रदेश के फल उत्पादक किसानों को भी लाभ होगा। वाइन कंपनियां किसानों से अधिक मात्रा में फल खरीदेंगी। बुधवार को कैबिनेट की ओर से नई आबकारी नीति को मंजूरी दिए जाने के बाद आबकारी विभाग ने गुरुवार को संबंधित शासनादेश भी जारी कर दिया है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को लोकभवन में बताया कि आबकारी नीति में सबसे बड़ा बदलाव ई-लाटरी को लेकर किया गया है। बीते छह वर्षों से लाइसेंसों का नवीनीकरण किया जाता था, लेकिन अब ई-लाटरी से दुकानों का आवंटन होगा। वर्ष 2026-27 में लाइसेंस नवीनीकरण का विकल्प दिया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष में 58,310 करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य रखा गया था, वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसे बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। देशी शराब के दाम में पांच रुपये की बढ़ोतरी होगी। पहली अप्रैल से 200 एमएल की बोतल के लिए लोगों को पांच रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। पहली अप्रैल से प्रदेश में 60 और 90 एमएल (मिली लीटर) के कांच व सिरेंग पैक में भी विदेशी मदिरा उपलब्ध होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विदेशी मदिरा की सामान्य श्रेणी में 90 एमएल व प्रीमियम श्रेणी में 60 व 90 एमएल के पैक की बिक्री की सुविधा दी जाएगी। वहीं शराब की दुकानें खोलने व बंद करने के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। शराब की दुकानें सुबह दस से रात दस बजे तक खोली जाएंगी। मंडल स्तर पर वाइन की दुकानें खोलने के लिए 50,000 व जिलों में 30,000 रुपये का शुल्क देकर लाइसेंस लेना होगा।

सुरेश खन्ना (फाइल फोटो)

60 व 90 एमएल पैक में भी उपलब्ध विदेशी मदिरा

60,000

करोड़ रुपये के कमाई का लक्ष्य 2025-26 में आबकारी के मद में

अन्य प्रदेशों के लिए निर्मित शराब परोसने पर एक लाख का अर्थ दंड

आबकारी विभाग की प्रमुख सचिव वीना कुमारी ने बताया कि नई नीति में यह व्यवस्था भी की गई है कि किसी कार्यक्रम स्थल पर यदि अन्य प्रदेशों के लिए निर्मित शराब को एकत्र किया जाता है और परोसा जाता है तो कार्यक्रम का आयोजन करने वाले व्यक्तियों पर एक लाख रुपये तक का अर्थदंड लगाया जाएगा। पहले यह व्यवस्था नहीं थी।

एसोसिएशन ने नीति का स्वागत किया

शराब विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने नई नीति का स्वागत किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष एसपी सिंह ने कहा कि कंपोजिट दुकानें खोलने के लिए ज्यादा जगह चाहिए होगी। इसके लिए संबंधित नगरीय निकायों के जरिये दुकानें आवंटित करने की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। इससे सरकार और शराब विक्रेता दोनों को लाभ होगा।

वाहनों की खरीद के लिए 43.33 करोड़ रुपये स्वीकृत : कैबिनेट ने यूपी 112 के दूसरे चरण के लिए 469 वाहनों की खरीद के लिए 43.33 करोड़ रुपये की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति दे दी है।